03/05/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वादीगन व प्रतिवादी सं० 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि दोनों पक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, जो शामिल पत्रावली किया जावे। दोनों पक्षों ने अलग से राजीनामा लिख दिया है जो इस पत्रावली / वाद का अभिन्न अंग रहेगा, इसलिये उक्त प्रकरण को राजीनामे के आधार पर इजी स्तर पर निस्तारित (डिक्री) किया जावे। हमने पत्रावली व प्रस्तुत राजीनामे का अध्ययन किया। वादीगन व प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया गया, जिसे

गायत्रीदेव
रामप्रसाद
प्रतिवादी सं2
27/4/23
श्यामलाल
सहायक कलक्टर
Manish
जयपुर शहर

बनाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या -- दावा / [redacted] / [redacted]

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	रामेश्वर नि० अं० वादी बा० अं० ... नि० अं० मदनलाल Identified by K R Sharma Adv (श्रवण सिंह) (नन्दसिंह राजावत)	दोनों पक्षों द्वारा सही होना बताया गया तथा बिना किसी दबाव के पेश करना बताया। प्रस्तुत राजीनामे को शामिल पत्रावली किया गया। वादीगन की पहचान उनके अधिवक्ता श्री के. आर. शर्मा द्वारा की गई तथा प्रतिवादी सं० 1 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री नंद सिंह राजावत द्वारा की गई। अतः यह न्यायालय वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को न्यायहित में स्वीकार कर उक्त वाद को खारिज फरमाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/05/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Manish सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम